Organisation and Ors Vs the Union of India and Ors.

The scheme has since been filled before the supreme Court of India.

इंदिरा आवास योजना

486. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) और (ख) इन्दिरा आवास योजना जो कि चल रही योजना है, के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवास मुहैया किये जाते हैं। 1995-96 के दौरान गुजरात राज्य सरकार के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 28501 के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गुजरात सरकार के निवेदन पर जनजाति क्षत्रों सहित सारे राज्य के लिए 6000 मकानों के निर्माण के अतिरिक्त लक्ष्य की मंजूरी दी गई है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य

487. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्दिरा आवास योजना आवास के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक कितने मकान बनाये गये हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक राज्य को चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष के दौरान कितने मकानों का निर्माण किये जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे मुक्त बंधुवा मजदूरों को निःशुल्क आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण गरीबों को रोजगार भी मुहैया कराना है। वर्ष 1993-94 से इस योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है लेकिन शर्त यह है कि गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ कुल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलना चाहिए। 1995-96 से योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए सशस्त्र सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के सैनिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है। उपर्युक्त श्रेणियों में से लाभार्थियों का चयन करते समय अत्याचारों से पीड़ितों, उन परिवारों जिनकी मुखिया विधवा महिलाएं या अविवाहित महिलाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों, अथवा विकास परियोजनाओं से बेघर परिवारों, खानाबदोशों अर्ध खानाबदोशों, अनुसूचित जनजाति, आन्तरिक शरणार्थियों, विकलांग परिवारों को प्राथमिकता है।

राज्य के आबंटन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय वर्ष दर वर्ष के आधार पर इंदिरा आवास योजना के लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को वर्षवार मुहैया की गई राशि विवरण-1 में दी गई है। **(नीचे देखिए)**।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक निर्मित मकानों की वर्षवार संख्या विवरण-2 में दी गई है **(नीचे देखिए)**।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को मुहैया की जाने वाली प्रस्तावित राशि तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में